सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0(भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक– 675/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2025 दिनांक–19–09–2025

अधिसूचना

एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि **श्री राज्यपाल/कुलाधिपति** के विशेष कार्याधिकारी उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–ई–5914/ 32–जी0एस0/2025/103–3/154/2025 दिनांक 26 अगस्त, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो निम्नवत है–

1. माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये गये है।

   विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। अकसर पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नही बैठ सकते है।

   छात्रगणो को इस आशय की नोटिस निर्गत किया जाय कि यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाय तथा इससे छात्रगणो को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाय। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा।
2. उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी के अनुमति के क्रम में उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक– यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– /तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिष्ठाता, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बन्धित महाविद्यालय, सम्बद्ध सि0वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. सहायक कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. समस्त सम्बन्धित छात्र–छात्रायें।
7. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।